रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052020-219274
CG-DL-E-02052020-219274

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1261] नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 2020/वैशाख 12, 1942
No. 1261] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 2020/VAISAKHA 12, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2020

का.आ. 1409(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना [का.आ 1205 (अ) दिनांक 29.10.2004] द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 (नया रारा-24) के गोरखपुर-फरतेनदा-सोनौली सेक्शन के 104.40 कि.मी. की लंबाई तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्तनियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के गोरखपुर बाईपास सेक्शन के चार या अधिक लेन के डिजाइन कि.मी. 0.000 कि.मी से 17.660 कि.मी. तक की निवल सड़क लंबाई 1.380 किलोमीटर और 10.66 कि.मी. (जिसकी कुल लंबाई 1.066 कि.मी.) की समकक्ष संरचना लम्वाई (जिनकी लम्वाई 60 मीटर से अधिक है) के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में दिए यांत्रिक वाहनों के प्रकार पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर के 100% और बाईपास जिसकी लंबाई 15.214 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो के प्रकार पर आधार दर के 150% की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात;

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
गोरखपुर जिले में शेरपुर चमराहा गांव के निकट रारा-24 के डिज़ाइन चैनज 5.600 कि.मी. पर	1.380 (60 मीटर से अधिक की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10.00 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	डिज़ाइन चैनज		बाइपास की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	लागत (करोड़ रुपए में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
		पर शुरू हो कर	पर मिलते हुए			
रारा-24 के गोरखपुर जिले में शेरपुर चमराहा गांव के निकट डिज़ाइन चैनज 5.600 कि.मी. पर	गोरखपुर बाइपास	0.370	16.650	15.214 (1.066 कि.मी की लंबाई और बाइपास पर 60 मीटर से अधिक की संरचनाओं को छोड़कर)	531.00	ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दर का 150%
	कुल लम्बाई			15.214		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-4

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई* में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
गोरखपुर जिले में शेरपुर चमराहा गांव के निकट रारा-24 के डिज़ाइन चैनज 5.600 कि.मी. पर	1.066	10.66	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल लंबाई	**1.066**	**10.66**	

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

टीपी -1	अवस्थान		संरचना का प्रकार	कुल लंबाई (कि.मी. में)
क्रम सं.	चैनेज से (कि.मी पर)	चैनेज तक (कि.मी पर)		
1	0.767	0.907	आरओबी-1	0.140
2	6.738	6.822	बड़ा पुल	0.084
3	11.640	11.742	आरओबी-2	0.102
4	15.429	16.079	बड़ा पुल	0.650
5	16.155	16.245	ओवर पास	0.090
संरचना की कुल लंबाई				**1.066**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00/-रुपए (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1ए में विनिर्दिष्ट के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के **नियम 5** के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना के पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 919.06 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं । अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा । प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भारारारप्रा/13013/547/सीओ /18-19/ /जीसी-गोरखपुर (0.000 कि.मी.-17.660 कि.मी.)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2020

S.O. 1409(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways [S.O. 1205(E) dated 29.10.2004] issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the Gorakhpur-Phartenda-Sonauli section having length of 104.40 km of National Highway No. 29 (New NH-24) in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on the type of mechanical vehicles in column (1) at hundred percent of the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road length of 1.380 kilometers and for equivalent structure length (having more than 60 m length) of 10.66 km (having length of 1.066 km) and at one hundred and fifty per cent of the base rate for bypass having length of 15.214 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four or more lane section of Gorakhpur Bypass Section from design km 0.000 to km 17.660 of National Highway No. 24 in the State of Uttar Pradesh and authorize the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE-1	
Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza(s) for net road length specified for such fee plaza(s), namely: -

TABLE-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	**Road Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
(1)	(3)	(4)
Km.5.600 design chainage near Village Sherpur Chamaraha in Gorakhpur District of NH-24	1.380 (excluding length of structure >60M	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs.10.00 crore or more, at the following Fee Plaza, for the length of bypass specified for such Fee Plaza: -

TABLE-3						
Location of Fee Plaza(s) (chainage)	**Name of the Bypass**	**Design Chainages**		**Length of bypass (in km) for which additional fee is payable**	**Cost (in Crore)**	**Rate at which fee is payable**
		Taking off at	Merging at			
Km.5.600 design chainage near Village Sherpur Chamaraha in Gorakhpur District of NH-24	Gorakhpur Bypass	0.370	16.650	15.214 (excluding length of 1.066 Km. structure > 60 m on bypass)	531.00	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
			Total Length	**15.214**		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following fee plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

TABLE-4

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length*	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
Km.5.600 design chainage near Village Sherpur Chamaraha in Gorakhpur District of NH-24	1.066*	10.66	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total Length	**1.066**	**10.66**	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

TP-1	Location		Type of the Structure	Total length (in km)
S.N.	From Chainage (at km)	To Chainage (at km)		
(i)	0.767	0.907	ROB -1	0.140
(ii)	6.738	6.822	Major Bridge	0.084
(iii)	11.640	11.742	ROB-2	0.102
(iv)	15.429	16.079	Major Bridge	0.650
(v)	16.155	16.245	Overpass	0.090
Total length of structure				**1.066**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.265 (Rupees Two Hundred and Sixty-five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

TABLE-5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle, provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in Sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-I above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 919.06 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/18-19/GC-Gorakhpur (Km.0.000 – Km.17.660]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA